भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 654

उत्तर देने की तारीख 06.02.2025

पीएमईजीपी के अंतर्गत सृजित ग्रामीण रोजगार

654. **श्री अमर शरदराव कालेः**
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटिलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के आरंभ से इसके अंतर्गत कितने ग्रामीण रोजगार सृजित किए गए हैं और कितने ग्रामीण उद्यमों की स्थापना की गई;

(ख) रोजगार सृजन की दृष्टि से पीएमईजीपी के अंतर्गत सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लाभार्थियों का और सीमांत समुदायों से संबंधित पीएमईजीपी लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(घ) इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रभाव मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कराया है;

(च) यदि हां, तो विशेष रूप से रोजगार सृजन और ग्रामीण उद्यमिता के संबंध में इन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(छ) उद्यमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों को पर्याप्त कौशल विकास और प्रशिक्षण प्राप्त हो; और

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत कितने ऋण आवेदनों को अनुमोदित और वितरित किया गया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) वर्ष 2008-09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद से, महाराष्ट्र राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत कुल 42,541 ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे लगभग 3,40,328 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वर्ष-वार आंकड़े **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ख) रोजगार सृजन के मामले में पीएमईजीपी के अंतर्गत सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्र सेवा एवं वस्त्र, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, खनिज, पॉलिमर एवं रसायन, वन, हस्तनिर्मित कागज और फाइबर तथा कयर हैं। विगत 3 वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष 2024-25 (दिननक 01.02.2025 तक) में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या और सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) पिछले 3 वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) के लिए पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत वंचित समुदायों से महिलाओं और लाभार्थियों के प्रतिशत का विवरण **अनुबंध- III** में दिया गया है।

(घ) कार्यक्रम में वंचित समुदायों से संबंधित महिलाओं और लाभार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए की गई पहलों में निम्न शामिल हैं:

i. महिलाओं और वंचित समुदायों अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का क्रमशः 25% और 35% की उच्च सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह सब्सिडी परियोजना लागत का 15% और 25% है।
ii. वंचित समुदायों की महिलाओं और उद्यमियों सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का योगदान सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% की तुलना में 05% है।
iii. विशेष श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिछड़े और कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
iv. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।
v. जनवरी, 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में संभावित लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।
vi. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, जलीय कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम पालन आदि) को अनुमति दी गई है।

(ङ) एवं (च) एमएसएमई मंत्रालय वर्ष 2008-09 से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी हैं, के साथ मिलकर पीएमईजीपी का कार्यान्वियन कर रहा है, ताकि गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करके देश में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। केवीआईसी ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान सहायता प्राप्त 11126 पीएमईजीपी इकाइयों पर रोजगार सृजन पर कोविड-19 के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के माध्यम से एक अध्ययन किया है। अध्ययन के अनुसार, पीएमईजीपी इकाइयों में प्रति इकाई रोजगार वर्ष 2021-22 के दौरान औसतन 9 व्यक्ति प्रति इकाई से बढ़कर वर्ष 2023 की अवधि में औसतन 11 प्रति इकाई हो गया है।

(छ) सरकार द्वारा पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों को सफल उद्यम चलाने के लिए पर्याप्त कौशल विकास और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. पिछड़े और कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
ii. आवेदन भरने में आवेदकों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न केवीआईसी कार्यालयों में विपणन, बैंकिंग और तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति।
iii. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)। केवीआईसी ने ऑनलाइन ईडीपी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है और इसे दिनांक 22.10.2019 से प्रभावी कर दिया है।
iv. युवाओं और भावी उद्यमियों की जागरूकता के लिए प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु विभिन्न कार्यकलापों पर वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

(ज) विगत 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) में ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी के अंतर्गत संस्वीकृत, जारी और संवितरित मार्जिन मनी की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	संस्वीकृत ऋण की संख्या	निर्मुक्त किए गए ऋणों की संख्या	एमएम के लिए लाभान्वित इकाइयों की संख्या
2021-22	88929	85238	84696
2022-23	116206	104553	68470
2023-24	126376	106908	68939
2024-25	70090	42526	30916

***दिनांक** 01.02.2025 तक

*****

अनुबंध-I

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 654 के भाग (क) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-I:

शुभारंभ से अर्थात वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या का विवरण

वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार
2008-09	1,340	10,720
2009-10	2,637	21,096
2010-11	3,878	31,024
2011-12	1,852	14,816
2012-13	2,873	22,984
2013-14	1,719	13,752
2014-15	2,777	22,216
2015-16	1,815	14,520
2016-17	2,325	18,600
2017-18	2,513	20,104
2018-19	4,193	33,544
2019-20	3,310	26,480
2020-21	2,307	18,456
2021-22	3,137	25,096
2022-23	2,760	22,080
2023-24	2,038	16,304
2024-25*	1,067	8,536
सकल योग	**42,541**	**3,40,328**

*दिनांक 01.02.2025 तक

अनुबंध- II

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 654 के भाग (ख) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध- II:

विगत 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या तथा सृजित अनुमानित रोजगार के संदर्भ में पीएमईजीपी के अंतर्गत क्षेत्र-वार कार्य-निष्पादन

क्र.सं.	क्षेत्र	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	सृजित अनुमानित रोजगार
1	सेवा और वस्त्र उद्योग	54,922	4,39,376	43,010	344,080	45,287	362,296	18,436	147,488
2	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	16,895	1,35,160	14,751	118,008	17,916	143,328	8,321	66,568
3	ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग	15,232	121,856	12,376	99,008	11,804	94,432	5,233	41,864
4	पॉलिमर और रासायनिक आधारित उद्योग	3,433	27,464	2,907	23,256	2,963	23,704	1,309	10,472
5	खनिज आधारित उद्योग	7,435	59,480	7,138	57,104	6,302	50,416	2,857	22,856
6	वन आधारित उद्योग	2,434	19,472	2,579	20,632	2,181	17,448	955	7,640
7	हस्तनिर्मित कागज और फाइबर उद्योग	2,162	17,296	2,085	16,680	2,506	20,048	1,056	8,448
8	कयर बोर्ड आधारित उद्योग	707	5,656	321	2,568	159	1,272	68	544
	कुल	**103,220**	**825,760**	**85,167**	**681,336**	**89,118**	**712,944**	**38,235**	**305,880**

*दिनांक 01.02.2025 तक।

अनुबंध-III

दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 654 के भाग (ग) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-III:

विगत 3 वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.02.2025 तक) के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमईजीपी लाभार्थियों की कुल संख्या, साथ ही महिलाओं और वंचित समुदायों के लाभार्थियों का प्रतिशत

ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या											
वित्तीय वर्ष	सहायता प्राप्त इकाइयों की कुल संख्या	महिला		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अल्पसंख्यक	
		इकाइयों की सं.	इकाइयों का कुल %	इकाइयों की सं.	इकाइयों का कुल %	इकाइयों की सं.	इकाइयों का कुल %	इकाइयों की सं.	इकाइयों का कुल %	इकाइयों की सं.	इकाइयों का कुल %
2021-2022	84,694	31,548	37%	8,170	10%	6,497	8%	26,323	31%	19,396	23%
2022-2023	68,470	25,745	38%	7,340	11%	4,300	6%	25,599	37%	11,233	16%
2023-2024	68,939	27,881	40%	8,216	12%	4,018	6%	25,217	37%	11,695	17%
2024-25*	30,916	12,121	39%	5,096	16%	3,148	10%	10,096	33%	3,967	13%

*दिनांक 01.02.2025 तक